उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

संख्या-687/2015/1374/69-1-2015-40(सा0)/2001

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका-खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11, के अन्तर्गत नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर गठित एक प्रकोष्ठ में वाहन चालक के पद पर तैनात श्री देशराज सिंह को मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड वाहन क्रय करने हेतु धनराशि रू0 24,000.00 (रूपये चौबीस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. यदि प्रश्नगत वाहन की कीमत स्वीकृत धनराशि से कम हो तो बकाया धनराशि शासन को तुरन्त वापस की जायेगी।

2. यदि अग्रिम का पूरा या कोई भाग उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उस भाग को शासन को तुरन्त वापस करना होगा।

3. स्वीकृत अग्रिम की वसूली वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-245 (डी) व प्रस्तर-246(3) में दी गयी रीति के अनुसार रू0 1000.00 प्रतिमाह की 24 किश्तों में वसूल की जाएगी।

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-514/दस-215-20(12)/14-मो0वा0 दिनांक 18 मार्च, 2015 में निहित शर्त के अनुसार मोटर साइकिल/मोपेड अग्रिमों पर ब्याज की दर अन्तिम रूप से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, किन्तु नियमित रूप से ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगदान किये जाने पर ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

5. अग्रिम की धनराशि की कटौती अग्रिम के आहरण के तुरन्त बाद अग्रिमी के देय वेतन से प्रारम्भ् होगी। सम्पूर्ण मूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद उक्त अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली की जायेगी जो साधारणतया मूलधन की मासिक किस्त से अधिक न होगी।

6. उक्त अग्रिम से मोटर साइकिल/मोटर किराया क्रय पद्धति (हायर परचेज) अथवा किश्तों द्वारा नहीं किया जायेगा।

7. मोटर साइकिल/मोपेड के क्रय करने की तिथि से एक माह के अन्दर अग्रिमी द्वारा उसका समाविष्ट बीमा कराया जायेगा, जो उक्त अवधि तक जारी रहेगा जब तक की अग्रिम की मूलधन धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली न हो जाय। बीमा की धनराशि किसी भी समय बकाया मूलधन तथा देय की धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. बीमा पालिसी तथा उक्त अभिलेख, जिससे यह ज्ञात हो सके कि मोटर साइकिल/मोपेड का बीमा कराया गया है, महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रमाण पत्र भेजने के लिये अग्रिमी द्वारा शासन को दिया जायेगा और यह भी प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि मोटर साइकिल/मोपेड का वास्तविक मूल्य क्या है और यदि कोई अवशेष धनराशि बची हो तो उसकी जमा करने की तिथि आदि।

9. अग्रिमी की सेवा निवृत्ति के पूर्व शासन द्वारा आदेश दिये जाने अथवा स्वयं अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने की दशा में अग्रिम की शेष मूल धनराशि तथा ब्याज को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को एक मुश्त देय हो जायेगी और शासन इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह इस देय धनराशि को जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले।

उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2230-श्रम तथा रोजगार-02- रोजगार सेवाएं-101-रोजगार सेवाऐं-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन" (के.75/ रा.25-के.+रा.) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव।

संख्या-687/2015/1374(1)/69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नगर विकास अनुभाग-5/8, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-3-514/दस-2015-20(12)/14-मो0वा0 दिनांक 18 मार्च, 2015 के संदर्भ में।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
7- मुख्य कोषाध्यक्ष, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- सहायक वेव मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9- गार्ड फाइल/कम्पयूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in